<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

रिट याचिका (एम0एस0) नं. 673 / 2022

साजिद अली..... याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य..... प्रतिउत्तरदाता।

उपस्थितः श्री बी0डी0 उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मय सहायक अधिवक्ता श्री सुनील उपाध्याय याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण।

श्री टी0एस0 फर्तियाल, विद्वान उप महाधिवक्ता और श्री योगेश पांडे, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता। राज्य के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता।

श्री संजय भट्ट, प्रत्यर्थी नं. 5. के विद्वान अधिवक्ता।

श्री अमर मूर्ति शुक्ला, प्रतिवादी नं. 6. के विद्वान अधिवक्ता।

<u>सुनवाई और निर्णय की तिथिः 19.09.2022</u>

<u>श्री संजय कुमार मिश्रा, जे।</u>

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः–

1. इस रिट याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष के लिए याचना किया हैः–

i. रिट याचिका के अनुलग्नक 1 में निहित मामले के अभिलेख को तलब करने के लिए और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 22.02.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की एक रिट जारी करें।

ii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रत्यर्थियों के अधिकारियों को याचिकाकर्ता और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों का नाम ग्राम चौली साहबुद्दीनपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार की मतदाता सूची में शामिल करने का आदेश दिया जाए ताकि वे जिला हरिद्वार में ग्राम पंचायत के आगामी चुनाव में भाग ले सकें और अपना वोट डाल सकें।

2. याचिकाकर्ता के पूर्वज गाँव चौली साहबुद्दीनपुर, तहसील–भगवानपुर, जिला–हरिद्वार में रह रहे थे। वर्ष 1960 में सोनाली नदी में अचानक बाढ़ आ

गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त गाँव की भूमि का एक बड़ा हिस्सा बह गया था। जिन परिवारों ने अपने घर और रिहायश खो दिए थे, उन्हें फिर से बसाने के लिए जिला प्रशासन ने राजस्व गांव मंडावर के भीतर 36 बीघा जमीन की मांग की, जो चौली साहबुद्दीनपुर गांव से सटा हुआ है। याचिकाकर्ता और उसके पूर्वज तब से वहीं रह रहे थे। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह और उसके पूर्वज ग्राम चौली साहबुद्दीनपुर ग्राम सभा के सदस्य के रूप में अपना वोट डाल रहे थे और 2015 तक उक्त ग्राम चौली साहबुद्दीनपुर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में मतदाताओं के रूप में सूचीबद्ध थे।

3. वर्ष 2015 में हुए पिछले पंचायत चुनाव में, प्रतिवादी नं. 6 की पत्नी ने गाँव चौली साहबुद्दीनपुर, जिला–हरिद्वार के ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद, उन्होंने गांव चौली साहबुद्दीनपुर की मतदाता सूची को सही करने और खसरा संख्या 426, 428, 429, 430, 444, 445, 446 और 447 में रहने वाले व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए और गांव मंडावर की मतदाता सूची में उनके नाम शामिल करने के लिए दिनांक 08.07. 2015 को हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया। दिनांक 08.07.2015 के उनके आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। तत्पश्चात, यूसुफ अली, जिसने दिनांक 08.07.2015 के अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर किए हैं, ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका डब्ल्यू पी एम एस सं. 2941/15 दायर किया। इस न्यायालय ने दिनांक 26.11. 2015 के निर्णय और आदेश के माध्यम से उसका निपटारा किया और आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया।

4. इस न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार ने विद्वान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से एक आख्या मांगी, जिन्होंने 19.12.2015 को आख्या प्रस्तुत किया और आख्या के साथ–साथ अन्य तथ्यों पर विचार करने के बाद, विद्वान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 19.12.2015 को उस रिट याचिका में याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। उक्त आदेश को विद्वान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माना गया और विद्वान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या के आधार पर याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया तब यूसुफ अली ने दिनांक 19.12.2015 के आदेश को चुनौती देते हुए एक अन्य रिट याचिका 1139/2016 इस न्यायालय के समक्ष योजित की।

5. उसी समय 22.08.2017 को इरफान और मेहंदी हसन द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष इन व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था,

जो ग्राम मंडावर के उपरोक्त खसरा में रह रहे हैं, जिस पर उत्तराखंड सरकार द्वारा सचिव, राज्य चुनाव आयोग, उत्तराखंड को दिनांक 22.09.2017 को एक पत्र लिखा गया था ताकि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। अभ्यावेदन की प्राप्ति पर उक्त पत्राचार के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को उपरोक्त संचार के आधार पर मामले पर उचित कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिनांक 16.12.2017 के अपने आदेश के माध्यम से हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, को निर्देश दिया कि वे क्रम संख्या 1482 से 3274 के मतदाताओं के नाम ग्राम चौली साहबुद्दीनपुर की मतदाता सूची से हटा दें तथा उनके नाम ग्राम पंचायत, मंडावर की मतदाता सूची में शामिल करें। जिसके अनुपालन में, विद्वान जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 03.01.2018 को एक समुचित आदेश पारित किया।

6. दिनांक 16.12.2017 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश को अवैध करार देते हुए आदेश दिनांक 16.12.2017 और 03.01.2018 को निरस्त करने के लिए एक व्यक्ति वसीम ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं0 डब्ल्यूपीएमएस नं. 539/2018 योजित किया। इस न्यायालय ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 09.03.2018 में याचिकाकर्ता को अवसर देने के बाद विधि के अनुसार आवश्यक सुधार करने की स्वतंत्रता का निर्देश दिया।

7. दिनांक 04.08.2018 को, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, वित्त और राजस्व, हरिद्वार ने राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर दिनांक 02.05.2018 को एक जांच की और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने सिफारिश की कि मामला राज्य सरकार से संबंधित है और राज्य सरकार ही एकमात्र उपयुक्त प्राधिकरण है और उन्होंने हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट से मामले को राज्य सरकार को भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद, विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार ने सचिव, राज्य चुनाव आयोग, उत्तराखंड को एक पत्र लिखा और राय दी कि आगामी चुनाव के समय मामले को सुलझाया जा सकता है।

8. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने पुनः एक रिट याचिका सं0 डब्ल्यू. पी. एम. एस. नं. 746/2019 योजित किया जिसे इस न्यायालय द्वारा 02.04.2019 को निस्तारित करते हुए, प्रतिवादी को दिनांक 04.04.2018 और 05.01.2019 के याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए एक स्पष्ट और तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।

9. दिनांक 02.04.2019 के आदेश से व्यथित होकर, एक व्यक्ति फरमान ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अपील सं0 785/2019 दाखिल किया जिसको

दिनांक 23.08.2019 को निस्तारित करते हुए, इस न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया गया और निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करे।

10. उपर्युक्त निर्देश के आधार पर, विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार ने अपने आदेश दिनांक 25.09.2019 के माध्यम से अभ्यावेदन का निपटारा इस प्रक्षेण के साथ किया कि चूंकि निकट भविष्य में चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए चुनाव आदि की तैयारी के समय इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद, एक अन्य रिट याचिका डब्ल्यू. पी. एम. एस. नं. 1139/2016 दायर की गई जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2020 को निस्तारित करते हुए वर्तमान रिट याचिका के याचिकाकर्ता को आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर सचिव, पंचायती राज के समक्ष अभ्यावेदन करने की स्वतंत्रता दी गयी। रिट याचिका का निपटारा कानून के अनुसार किया गया था। जब जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर आदेश पारित करने में असमर्थता दिखाई, तो याचिकाकर्ता ने सचिव राजस्व के समक्ष दिनांक 31.12. 2019 को अभ्यावेदन दिया कि अर्जित हिस्से को ग्राम चौली साहबुद्दीनपुर की राजस्व सीमाओं में विलय कर दिया जाए।

11. जैसा कि कथित तौर पर, राजस्व सचिव ने मामले को विचार में नहीं लिया, तब याचिकाकर्ता ने रिट याचिका डब्ल्यू. पी. एम. एस. नं. 473/2020 योजित किया जिसका निपटारा राजस्व सचिव को आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने की तारीख से 10 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का राजस्व सचिव द्वारा दिनांक 05.10.2020 के आदेश द्वारा निपटारा किया गया था और अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया था।

12. इसके बाद, मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/पंचायत चुनाव के अधिकृत अधिकारी, हरिद्वार ने दिनांक 07.10.2020 को एक आदेश पारित कर ग्राम पंचायत चौली साहबुद्दीनपुर और मंडावर के परिसीमन को पंचायत चुनाव 2021 के उद्देश्य से मतदाता सूची को सही करने का निर्देश दिया।

13. दिनांक 17.10.2020 और दिनांक 05.10.2020 को, इस न्यायालय के समक्ष कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा आदेशों को चुनौती दी गई थी। एक व्यक्ति फरमान ने रिट याचिका डब्ल्यू. पी. एम. एस. नं. 2028/2020 योजित किया जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2020 के आदेश द्वारा निस्तारित गया, जिसमें सभी हितधारकों, विशेष रूप से परिसीमन, ग्राम पंचायत के पुनर्गठन और

मतदाता सूची से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति को सुनने के लिए अग्रिम निर्देशों के साथ दिनांक 20.10.2020 के अभ्यावेदन पर निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार ने जिला हरिद्वार की ग्राम पंचायत के पुनर्निर्माण और परिसीमन के लिए दिनांक 31.07.2020 को एक आदेश पारित किया।

14. दिनांक 28.02.2021 को विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार ने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के परिसीमन को अंतिम रूप देते हुए अधिसूचना जारी की है।

15. दिनांक 10.03.2021 को राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुननिरीक्षण के लिए अधिसूचना जारी की है, यद्पि कोविड मामलों में वृद्धि के कारण, प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था और अंत में, दिनांक 23.06.2021 को समय सारिणी अधिसूचित की गई है। इसके बाद, ग्राम पंचायत चौली साहबुद्दीनपुर की एक मतदाता सूची 2021 में तैयार की गई है और याचिकाकर्ता और इसी तरह के अन्य ग्रामीणों का नाम ग्राम पंचायत चौली साहबुद्दीनपुर की मतदाता सूची 2021 से हटा दिया गया है। यद्पि, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया है कि उन्हें गाँव मंडावर के मतदाताओं के रूप में नामांकित किया गया है, जो गाँव से सटा हुआ है।

16. इन तथ्यों पर, याचिकाकर्ता ने मामले के अभिलेख तलब के लिए उत्प्रेषण की एक रिट जारी करने और प्रत्यर्थी नं 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02. 2022 को रद्द करने का अनुरोध किया है (परिशिष्ट सं. 1) और प्रत्यर्थी अधिकारियों को आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए याचिकाकर्ता और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों का नाम ग्राम चौली साहबुद्दीनपुर तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार की मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अनुरोध किया है ताकि वे वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकें और ग्राम पंचायत चौली साहबुद्दीनपुर के मतदाता के रूप में आगामी चुनाव के लिए अपना वोट डाल सकें।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 4 और धारा 9 (3) को लागू करने वाले प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अवैध है। जैसा कि इस मामले में, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 लागू होगी और वे यह प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की सदस्यता के बीच कोई अंतर है।

18. बेहतर मूल्यांकन के लिए, हम धारा 3 के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हैं, जिसमें ग्राम सभा के गठन, सदस्यता, कार्यों और बैठकों आदि का प्रावधान है, धारा 4 में ग्राम पंचायत के गठन और परिसीमन का प्रावधान है और

उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 9 में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची का प्रावधान है। ये प्रावधान नीचे उद्धृत किए गए हैं:–

धारा 3 ग्राम सभा का गठन, सदस्यता कार्य और बैठकें इत्यादि

(क) ग्राम सभा– *राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी गाँव या गाँवों के समूह के लिए ऐसे नाम से ग्राम सभा की स्थापना करेगी जो विनिर्दिष्ट किया जाए परंतु जहाँ गाँवों के समूह के लिए एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वाले गाँव का नाम ग्राम सभा के नाम के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।*

(ख) ग्राम सभा की सदस्यता– *एक वयस्क, जो किसी ग्राम सभा क्षेत्र का निवासी है और जिसका नाम ग्राम पंचायत की तत्तकालीन सूची में दर्ज हो वह उस ग्राम सभा का सदस्य होगा (प्रत्येक व्यक्ति जिसने प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह निर्वाचक सूची में अपना नाम पंजीकृत कराने का अधिकारी होगा)*

(ग) ग्राम सभा की स्थापना और उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना– *यदि ग्राम सभा की स्थापना या ग्राम पंचायत के कामकाज में कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न होती है तो इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न होती है या ऐसी व्याख्या या इस अधिनियम में प्रदान नहीं किए गए किसी मामले से उत्पन्न होने या उससे संबंधित कोई मामला, उसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।*

(घ) ग्राम सभा की बैठकें और कार्य–

(1) *प्रत्येक ग्राम सभा तिमाही आधार पर प्रत्येक वर्ष में चार आम बैठकें आयोजित करेगी। जिसकी अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी: परंतु प्रधान किसी भी समय, या निर्धारित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में या सदस्यों की संख्या के कम से कम पांचवें हिस्से द्वारा, ऐसी मांग की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, एक असाधारण आम बैठक बुला सकता है: परंतु जहां प्रधान उपरोक्त के रूप में एक बैठक बुलाने में विफल रहता है, तो निर्धारित प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा कर सकता है।*

(2) *ग्राम सभा की बैठकें केवल सार्वजनिक/सरकारी भवनों में या ग्राम पंचायत के खुले स्थान पर शुरू की जाएंगी।*

स्पष्टीकरण–प्रधान/उप–प्रधान के घर पर बुलाई गई बैठक को अवैध माना जाता है।

(ई) ग्राम सभा की बुलाई गई बैठक के लिए कोरम– *ग्राम सभा की बुलाई गई बैठक के लिए, कुल सदस्यों की 1/5 संख्या या कुल परिवारों के आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।*

स्पष्टीकरण– *स्थगित बैठक के लिए कोरम, ग्राम सभा के सदस्यों की 1/10 संख्या या कुल परिवारों में से 1/4 प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य है। परिवारों की संख्या का निर्धारण परिवार रजिस्टर के आधार पर किया जाएगा।*

(एफ) ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां–

(1) *ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिशें और सुझाव दे सकती है–*

(i) *ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट और अंतिम ऑडिट नोट और जवाब, यदि कोई हो तो,*

(ii) *पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित विकास कार्यक्रम*

(iii) *गांव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना*

(iv) *गांव के भीतर प्राथमिक और वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम*

(v) *ऐसे अन्य सभी जनहित के मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं–*

(2) (जी) ग्राम सभा निम्नलिखित कार्य करेगी अर्थातः–

(ए) *सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और योगदान को जुटाना*

(बी) *गाँव से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना*

(सी) *गाँव से संबंधित विकास के कार्यान्वयन के लाभार्थियों की पहचान।*

<u>धारा 4 ग्राम पंचायत का गठन और परिसीमन</u>

1–ग्राम पंचायत–

(1) *राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यथासंभव पहाड़ी क्षेत्र में 500 की जनसंख्या और एक हजार की जनसंख्या वाले समतल क्षेत्रों में गांवों के समूह वाले किसी क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है,*

परंतु पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या समतल क्षेत्र के लिए यथासंभव 2000 और 10000 होगी या इससे अधिक नहीं होगी, लेकिन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले गठित ग्राम पंचायत जब तक आवश्यक न हो, वैसी ही होगी।

परंतु यह भी कि पंचायत क्षेत्र को राजस्व ग्राम में घोषित करने के प्रयोजनों के लिए विभाजित नहीं किया जाएगा।

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार आदेश द्वारा परिहार्य अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में अन्य प्रतिबंध शिथील कर सकेगी।

(2) *राज्य सरकार संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना द्वारा किसी भी समय–*

क– किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मलित करने या उससे निकालकर परिष्कार सकेगी।

ख– पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, या

ग– यह घोषणा कर सकेगी कि कोई क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है

घ– ग्राम पंचायत का संघटन ऐसी रिति से अधिसूचित किया जाएगा जो नियत किया जाए और तद्परांत ग्राम पंचायत को सम्यक रूप से संगठित समझा जाएगा भले ही उसमें कोई रिक्ति ना हो।

परंतु यह कि ग्राम पंचायत के गठन को तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान सहित न्यूनतम दो तिहाई सदस्य निर्वाचित न हो जाएं।

(3) *ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्यथा समाप्त नहीं किया जाए, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा।*

(4) *प्रधान ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य होगा।*

(5) *ग्राम पंचायत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्धारित रिति से तय किया जाएगा जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।*

2–पंचायत क्षेत्र का परिसीमन–

(1) *पंचायत क्षेत्रों का परिसीमन ऐसी प्रक्रिया से किया जाएगा जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।*

(2) *पंचायत क्षेत्र के ऐसे ज्ञात नाम के रूप में प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम पंचायत, जो निगमित निकाय होगी, का गठन किया जाएगा।*

(3) *एक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा और एक पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी आबादी–*

(i) 1000–7 सदस्यों तक होगी

(ii) 1001 से 2000–9 सदस्यों तक

(iii) 2001 से 3000–11 सदस्यों तक

(iv) 3001 से 5000–13 सदस्यों तक

(v) 5000–15 से अधिक सदस्य होंगे।

3. *ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति और स्वास्थ्य और कल्याण समिति में, एक महिला सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा जैसा कि नियमों में विहित किया जाए।*

<u>धारा 9. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची</u>

(1) *ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य निर्वाचन आयोगों के अधिक्षण, निर्देश और नियंत्रण के तहत विहित किये गये नियमों के अनुसार एक मतदाता सूची तैयार की जाएगी।*

(2) *राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य में मतदाता सूचियों की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार से संबंधित सभी कार्यों का पर्यवेक्षण और सम्पादन करेंगे।*

परंतु यह कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन चुनाव के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि के बाद और उस चुनाव के पूरा होने से पहले नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट मतदाता सूची विहित रीति से प्रकाशित की जाएगी और इसके प्रकाशन पर यह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किए गए किसी परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची होगी।

19. इस प्रकार, इस अधिनियम की योजना से, यह स्पष्ट है कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए, एक व्यक्ति को कमान क्षेत्र या ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए। यदि उपर्युक्त दो शर्तें किसी व्यक्ति द्वारा पूरी की जाती हैं तो उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। धारा 3 की उपधारा (ख) के अनुसार, एक वयस्क, जो रहता है या जिसका नाम फिलहाल ग्राम सभा की मतदाता सूची में शामिल है, उस ग्राम सभा का सदस्य होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि खंड (ख) में व्याकरण की त्रुटि है क्योंकि ग्राम सभा की कोई मतदाता सूची नहीं है, ग्राम पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार की जाती है।

20. जो भी हो, उपर्युक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह बहुत स्पष्ट है कि एक व्यक्ति, जो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रह रहा है और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, को उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जिसका नाम मतदाता सूची में पाया गया है, ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। ग्राम सभा

के पास पर्यवेक्षण और सिफारिश करने का कार्य है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा (च) में ग्राम सभा के कार्यों और शक्तियों का प्रावधान है।

21. अभिलेखों से यह भी दर्शित है कि ग्राम पंचायत जब निष्पादन करेगी तो उस समय ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक विचार करेगी। यद्पि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत इस अर्थ में दो अलग–अलग निकाय हैं, ग्राम सभा एक सामान्य निकाय है जिसमें सभी मतदाता सदस्य होते हैं और एक ग्राम पंचायत में मतदाता द्वारा विधिवत चुने गए सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत विभिन्न विकास कार्यों को निष्पादित करती है जबकि ग्राम सभा संरक्षक के रूप में कार्य करती है और सिफारिशें और सुझाव देती है, जिन पर ग्राम पंचायत द्वारा विचार किया जाना है।

22. इस प्रकार, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए आवश्यक अपेक्षा यह हैं कि व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और वह उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और उसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। अतः अधिनियम की धारा 3, 4 और धारा 9 के प्रावधानों के बीच कोई टकराव नहीं है। उसी के एक सामंजस्यपूर्ण और संयुक्त पठन से पता चलता है कि एक व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होने के साथ–साथ ग्राम पंचायत का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन अपेक्षा यह है कि वह 18 वर्ष का होना चाहिए और ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में निवासरत होना चाहिए।

23. मामले के उक्त दृष्टिकोण में, इस न्यायालय की राय है कि एक बार याचिकाकर्ता और राजस्व गांव मंडावर की सीमाओं के भीतर रहने वाले समान रूप से स्थित व्यक्ति, सभी व्यवस्थाओं में, उनके नाम ग्राम पंचायत, मंडवार की मतदाता सूची में शामिल किए जाने चाहिए ना कि ग्राम चौली साहबुद्दीनपुर की मतदाता सूची में। यद्पि कि वे 2015 तक ग्राम चौली साहबुद्दीनपुर ग्राम पंचायत के मतदाता के रूप में अपना वोट डाल रहे थे। विभिन्न अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार ने मंडावर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उनके नाम शामिल करने का निर्णय लिया है और यह धारा 3 के खंड (ए) के प्रावधानों के अनुसार है और फिर धारा 4 की उप–धारा 1 के दूसरे परंतुक और अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार है।

24. चूंकि याचिकाकर्ता राजस्व गांव, मंडावर का निवासी है, इसलिए भूमि चौली साहबुद्दीनपुर गांव को हस्तांतरित नहीं की गई है, इसलिए वह मंडावर ग्राम पंचायत के मतदाता होने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा पारित इस आदेश को, जो इस मामले में विवादित है, उत्प्रेषण की कार्यवाही में रद्द नहीं किया जा सकता है।

25. विभिन्न निर्णय समूहों से यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण का रिट अधिकार क्षेत्र अधिकारिता की गंभीर त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी किया गया है। जब किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को कार्य करते हुए पाया जाता है–

(i) अधिकारिता के बिना–जहां कोई अधिकारिता मौजूद नहीं है वहां अधिकारिता ग्रहण करके, या

(ii) अपनी अधिकारिता से अधिक–अधिकारिता की सीमाओं का अतिक्रमण या अतिक्रमण करके, या

(iii) विधि या प्रक्रिया के नियमों की घोर अवहेलना में कार्य करना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए कार्य करना जहां कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है, और इस प्रकार न्याय की विफलता का कारण बनता है।

26. केवल तथ्य या विधि की त्रुटियों को सुधारने के लिए उत्प्रेषण की रिट उपलब्ध नहीं है, जब तक कि न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता है कि त्रुटि अभिलेखों के तथ्य पर प्रकट और स्पष्ट है, जैसे कि जब यह विधि के प्रावधानों की स्पष्ट और पूर्ण अवहेलना पर आधारित है और इससे गंभीर अन्याय या घोर अन्याय हुआ हो। एक पेटेंट त्रुटि एक त्रुटि है, जिसे आम तौर पर एक त्रुटि माना जाता है जो स्वतः सिद्ध है।

27. दूसरे शब्दों में, जब किसी त्रुटि को किसी लंबे या जटिल तर्क या तर्क की लंबी प्रक्रिया में शामिल किए बिना माना या प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे पेटेंट त्रुटि माना जाएगा और इसे उत्प्रेषण के रूप में हस्तक्षेप किये जाने योग्य मानना चाहिए।

28. इस मामले में, हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विस्तार से तर्क दिया, वह अदालत को संतुष्ट नहीं कर सके कि अधिकारियों द्वारा एक पेटेंट त्रुटि की गई है। इसके अलावा, इस न्यायालय की राय है कि चूंकि याचिकाकर्ता मंडावर गाँव का निवासी है, इसलिए वह भौतिक रूप से वहाँ रह रहा है। यद्यपि उसकी रुचि हो सकती है कि क्षेत्र को चौली साहबुद्दीनपुर के राजस्व गांव का क्षेत्र शामिल किया जाना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह भौतिक रूप से मंडावर गांव में रह रहा है और उसे ग्राम मंडावर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

29. उपरोक्त सम्प्रेक्षण के साथ यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है इसलिए, इसे योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किया जाता है।

(संजय कुमार मिश्रा, जे।)

19.09.2022

(इस आदेश की प्रमाणित प्रति नियमानुसार तत्काल प्रदान करें)